न्यायालय जिला कलक्टर खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

प्रकरण संख्या	रजि० नं0 2023 /	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11 / 60 / 2025	2025 / 265	12.05.2025	11.06.2025

1– राकेश कुमार पुत्र विरेन्द्रसिंह पोत्र प्रभू जाति अहीर निवासी ग्राम माछरोली तहसील किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

अपीलान्ट

बनाम

1–तहसीलदार किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा।

असल रेस्पोडेन्ट

2–अश्व यादव पुत्री विरेन्द्रसिंह पोत्री प्रभू
3–कमलेश यादव पुत्री प्रभू
4–कुलदीप पुत्र रधुवीरसिंह पोत्र प्रभू
5–चन्द्रकला पत्नि स्व0 रधुवीरसिंह पुत्र वधु प्रभू
6–पूनम पुत्री रधुवीर पोत्री प्रभू
7–वेदप्रकाश यादव पुत्र रधुवीर सिंह पोत्र प्रभू
8–सन्तोष पुत्री प्रभू
9–सरजीतसिंह यादव पुत्र प्रभू
10–सविता देवी पत्नि स्व0 विरेन्द्रसिंह पुत्रवधु प्रभू जाति अहीर निवासी माछरोली तहसील किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

तरतीबी रेस्पोडेन्टान

अपील विरूद्ध आज्ञा तहसीलदार किशनगढबास दर्ज दिनाक 02.10.2024 व निर्णय दिनाक 09.11.2024 नामान्तकरण संख्या 1017 वाके ग्राम माछरोली तहसील किशनगढबास जिला जिला खैरथल–तिजारा। (राजस्थान)

उपस्थित–
01. श्री अब्दूल कलाम –वकील अपीलान्ट

–:निर्णय:–

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार किशनगढबास के नामान्तकरण संख्या 1017 दर्ज दिनाक 02.10.2024 व निर्णय 11.09.2024 वाके ग्राम माछरोली तहसील किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा जिसके द्वारा बेजा रूप से विरासत का नामान्तकरण खारिज किया गया है, से व्यथित होकर पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जर्ये नोटिस तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया।

विद्वान वकील अपीलान्टान ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया है, कि आराजी खसरा न0 269 / 0.1644 है0, 281 / 0.1391 है0 का 5 / 72 भाग, 1041 / 0.4679 है0, 1047 / 0.2529 है0, 1105 / 0.1391 है0, 1114 / 1.0244 है0, 199 / 3920 है0, 257 / 0.0379 है0, 258 / 0.0506 है0, 273 / 0.1897 है0, 277 / 0.1391 है0, 59 / 0.8094 है0, 611 / 0.1770 है0, 62 / 0.6956 है0, 878 / 0.2909 है0, किता 13 / 4.6665 है0 सालिम, आराजी खसरा न0 1314 / 162 रकबा 0.0885 है0, 1318 / 714 रकबा 0.0379 है0, 1320 / 797 रकबा 0.2150 है0, 1322 / 884 रकबा 0.0759 है0, 191 / 0.3794 है0, 317 / 0.0506 है0, 320 / 0.0759 है0, 728 / 0.126 है0, 732 / 0.1644 है0, 803 / 0.1265 है0, 813 / 0.1770 है0, 845 / 0.1012 है0, 846 / 0.1012 है0, किता 13 रकबा 1.6061 है0 सालिम, आराजी खसरा न0 322 / 0.1644 है0, 739 / 0.0632 है0, किता 2 / 0.2276 है0, का 1 / 4

जिला कलक्टर
खैरथल-तिजारा (राज०)

भाग, 724/0.0506 है0, 790/0.759 है0 किता 2/0.1265 है0 का 1/57 भाग वाके ग्राम माछरोली तहसील किशनगढबास स्थित है, आराजीयात प्रभू पुत्र जयदेव उर्फ जगदेव जाति अहीर निवासी माछरोली तहसील किशनगढबास की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। प्रभू पुत्र जयदेव उर्फ जगदेव जाति अहीर निवासी माछरोली तहसील किशनगढबास अपीलान्ट व तरतीबी रेस्पोडेन्टान का सगा दादा/पिता/ससुर था, जिसकी मृत्यू दिनाक 19.03.2020 को हो चूकि है, मृत्यू के उपरान्त अपीलान्ट व तरतीबी रेस्पोडेन्टान द्वारा विरासत का नामान्तकरण दर्ज कराने हेतु एक शपथ–पत्र तरतीबी रेस्पोडेन्ट संख्या 4 कुलदीप द्वारा जिसमें मृतक प्रभू के सभी वारिसान का उल्लेख कर, मृतक प्रभू, रधुवीरसिंह, विरेन्द्रसिंह यादव, रामेश्वरी देवी का मृत्यू प्रमाण पत्र व सभी वारिसान के आधार कार्ड लगाकर विरासत का नामान्तकरण दर्ज कराने हेतु समस्त दस्तावेजात पटवारी हल्का माछरोली तहसील किशनगढबास को दिये गये। उक्त दस्तावेजो के आधार पर पटवारी हल्का माछरोली द्वारा नामान्तकरण संख्या 1017 दिनाक 02.10.2024 वाके ग्राम माछरोली दर्ज किया जाकर वास्ते मंजूरी हेतु तहत अदालत के समक्ष पेश किया गया, जिस पर तहत अदालत द्वारा बेजा रूप से विरासत का नामान्तकरण यह दर्ज करते हुऐ निरस्त कर दिया कि संबंधित पूर्ण दस्तावेज मृत्यू प्रमाण पत्र एवं वारिसान जॉच वाका घटना बही संलग्न नही होने के कारण नामान्तकरण खारिज किया जाता है। जबकि अपीलान्ट द्वारा समस्त दस्तावेजात पटवारी हल्का को दिये जा चुके थे, पटवारी हल्का व तहसीलदार किशनगढबास द्वारा ऐसी कोई सूचना हमे नही दी गयी कि कौन से दस्तावेजात की पूर्ति करनी है, ऐसी कोई सूचना लिखित में अथवा मौखिक सूचना नही दी गयी। तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय अपीलान्ट को बिना सुने/सुनवाई का अवसर दिये बिना ही एक पक्षीय निर्णय पारित किया गया है, जबकि विधिक प्रावधान है, कि पक्षकार को सुनवाई/साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान किया जाकर विधिवत निर्णय पारित किया जावे। किन्तु तहत अदालत द्वारा विधिक प्रावधानो को नजर अंदाज कर निर्णय पारित किया गया है। तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय निरस्त किया जावे। तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय की जानकारी मिन अपीलान्ट को पूर्व में नही थी, पारित निर्णय की जानकारी मिन अपीलान्ट को सर्वप्रथम दिनाक 25.04.2025 को तब हुई जब पटवारी हल्का से सर्म्पक किया गया तो बताया गया। जानकारी होने पर दिनाक 28.04.2025 को नामान्तकरण की नकल व राजस्व रिकार्ड की नकल हेतु आवेदन किया गया। जिस पर नकल प्राप्त कर बिना देरी किये यह अपील पेश की गयी है, पारित निर्णय के विरूद्व अपील किये जाने में जो विलम्ब हुआ व जानकारी न होने के कारण हुआ है, अपील किये जाने में जो विलम्ब हुआ है, को कन्डोन किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मयाद अधिनियम 1963 का पृथक से अपील के साथ सलग्न कर निवेदन है, कि अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद ग्रहण की जाकर, अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय को निरस्त किया जावे।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया एंव वकील अपीलान्ट की बहस पर मनन किया। सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम पर विचार किया। अपीलान्ट ने अपीलाधीन आदेश (विरासत) नामान्तकरण संख्या 1017 निर्णय दिनांक 09.11.2024 वाके ग्राम माचरोली तहसील किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा के विरूद्व अपील न्यायालय हाजा को दिनाक 30.04.2025 को पेश की गयी है, जो करीब 5 माह 20 दिवस पश्चात पेश की गयी है, जो विलम्ब से पेश की गयी है। तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय (विरासत) नामान्तकरण संख्या 1017 निर्णय दिनांक 09.11.2024 वाके ग्राम माछरोली तहसील किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा की सर्वप्रथम जानकारी अपीलान्टान को दिनाक 28.04.2025 को होना अंकित किया गया है, माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेंर द्वारा भी विभिन्न दृष्टान्तो में मियाद के बिन्दू नरमी का रूख अपनाने का सिद्वान्त प्रतिपादित किया हुआ है। अतः अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार की जाती है। अपीलान्ट का मुख्य कथन है, कि नामान्तकरण संख्या 1017 में वर्णित आराजीयात खसरा न0 269/0.1644 है0, 281/0.1391 है0 का 5/72 भाग, 1041/0.4679 है0, 1047/0.2529 है0, 1105/0.1391 है0, 1114/1.0244 है0, 199/3920 है0, 257/0.0379 है0, 258/0.0506 है0, 273/0.1897 है0, 277/0.1391 है0, 59/0.8094 है0, 611/0.1770 है0, 62/0.6956 है0, 878/0.2909 है0, किता 13/4.6665 है0 सालिम,

जिला कलक्टर

आराजी खसरा न0 1314/162 रकबा 0.0885 है0, 1318/714 रकबा 0.0379 है0, 1320/797 रकबा 0.2150 है0, 1322/884 रकबा 0.0759 है0, 191/0.3794 है0, 317/0.0506 है0, 320/0.0759 है0, 728/0.126 है0, 732/0.1644 है0, 803/0.1265 है0, 813/0.1770 है0, 845/0.1012 है0, 846/0.1012 है0, किता 13 रकबा 1.6061 है0 सालिम, आराजी खसरा न0 322/0.1644 है0, 739/0.0632 है0, किता 2/0.2276 है0, का 1/4 भाग, 724/0.0506 है0, 790/0.759 है0 किता 2/0.1265 है0 का 1/57 भाग वाके ग्राम माछरोली तहसील किशनगढबास प्रभू पुत्र जयदेव उर्फ जगदेव जाति अहीर निवासी माछरोली की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी रही है, प्रभू पुत्र जयदेव उर्फ जगदेव जाति अहीर निवासी माछरोली अपीलान्ट व तरतीबी रेस्पोडेन्टान का सगा दादा/पिता/ससुर था, जिसकी मृत्यू दिनाक 19.03.2020 को हो चूकि है, मृत्यू उपरान्त अपीलान्ट व तरतीबी रेस्पोडेन्टान द्वारा विरासत का नामान्तकरण दर्ज कराये जाने हेतु तहत अदलात के समक्ष मृतक प्रभू, रधुवीरसिंह, विरेन्द्रसिंह यादव, रामेश्वरी देवी का विरासत का नामान्तकरण दर्ज कराने हेतु समस्त दस्तावेजात सहित पटवारी हल्का माछरोली को दिये गये। उक्त दस्तावेजो के आधार पर पटवारी हल्का माछरोली द्वारा नामान्तकरण संख्या 1017 दिनाक 02.10.2024 वाके ग्राम माछरोली दर्ज किया जाकर वास्ते मंजूरी हेतु तहत अदालत के समक्ष पेश किया गया, जिस पर तहत अदालत द्वारा बेजा रूप से विरासत का नामान्तकरण यह दर्ज करते हुऐ निरस्त कर दिया कि संबंधित पूर्ण दस्तावेज मृत्यू प्रमाण पत्र एवं वारिसान जॉच वाका घटना बही संलग्न नही होने के कारण नामान्तकरण खारिज किया जाता है। जो उचित नही है, क्योकि तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय में पटवारी हल्का द्वारा अपनी रिपोर्ट मे स्पष्ट लिखा है, कि मुताबिक मृत्यू प्रमाण–पत्र, शपथ–पत्र वारिसान के अनुसार ही नामान्तकरण दर्ज किया गया है, तो उक्त दस्तावेजात संलग्न नही होने के कारण नामान्तकरण को खारिज किया जाना न्यायोचित नही कहा जा सकता है। यहा यह भी उल्लेखनिय है, कि उक्त नामान्तकरण को दर्ज करते समय पटवारी हल्का द्वारा उक्त दस्तावेजो का उल्लेख अंकित कर नामान्तकरण दर्ज किया गया तो संलग्न दस्तावेज कहा गये दस्तावेज रिकार्ड के साथ संलग्न करने का दायित्व किसका है, पटवारी हल्का का यदि किसी कारण से दस्तावेजात संलग्न होने से रह गये तो उनकी पूर्ती करायी जा सकती थी। अपील अपीलान्ट स्वीकार किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है, तहत अदालत तहसीलदार किशनगढबास द्वारा पारित निर्णय दिनांक दिनाक 11.09.2024 नामान्तकरण संख्या 1017 ग्राम माछरोली तहसील किशनगढबास निरस्त किया जाता है। प्रकरण तहत अदालत को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है, कि प्रकरण की पुनः जॉच कर विधिक–प्रावधानुसार अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाकर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करे। निर्णय की प्रमाणित प्रति तहत अदालत को तहत रिकार्ड के साथ वापिस भिजवायी जावे। पत्रावली फैशल शुमार को नमबर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल जमा रिकार्ड हो।

निर्णय आज दिनांक 11.06.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(किशोर कुमार)
जिला कलेक्टर एवं अतिरिक्त
मजिस्ट्रेट खैरथल–तिजारा
(राजस्थान)